

आपराधिक प्रकरण क्रमांक:-170 / 2013

न्यायालय:- न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद, जिला भिण्ड (म0प्र0)

आपराधिक प्रकरण क्रमांक:- 170 / 2013

संस्थित दिनांक:-04 / 04 / 13

शासन द्वारा पुलिस आरक्षी केंद्र,  
गोहद चौराहा जिला-भिण्ड म0प्र0

.....अभियोजन

बनाम

1. किशनसिंह पुत्र हाकिम सिंह उम्र 38 वर्ष
  2. सोनू सिंह पुत्र प्रेमसिंह उम्र 21 वर्ष
- निवासीगण- गजुनी गढी किराईच पोरसा जिला मुरैना म0प्र0

.....आरोपीगण

(आरोप अंतर्गत धारा- 25 (1)(1-ख)(क) आयुद्ध अधिनियम)  
(राज्य द्वारा- एडीपीओ श्रीमती हेमलता आर्य )  
(आरोपी द्वारा- अधि0 श्री बी0एस0 यादव )

// निर्णय //

// आज दिनांक 19.03.18 को घोषित किया //

आरोपी सोनू पर दिनांक 24.01.2013 को 14:00 बजे ग्राम पिपाहड़ी रोड कैची की पुलिस के पास सार्वजनिक स्थान पर वैद्य अनुज्ञप्ति के बिना एक 315 बोर का देशी लोडेड कट्टा अपने आधिपत्य में रखने हेतु तथा आरोपी किशनसिंह पर घटना दिनांक समय व स्थान पर वैद्य अनुज्ञप्ति के बिना एक जिंदा राउंड एवं एक खोका अपने आधिपत्य में रखने हेतु आयुद्ध अधिनियम की धारा 25 (1)(1-ख)(क) के अंतर्गत आरोप हैं।

2. संक्षेप में अभियोजन घटना इस प्रकार है कि दिनांक 24.01.13 को थाना गोहद चौराहा के सहायक उपनिरीक्षक विलियम मुण्डा मय फोर्स प्रधान आरक्षक वीरेन्द्र, आरक्षक उदयसिंह, बृजेन्द्र सिंह, नरेन्द्र सिंह एवं मुन्नालाल के साथ इलाका गस्त पर रवाना हुआ था। इलाका गस्त के दौरान वह पिपाहड़ी रोड कैची की पुलिस के पास पहुंचा था, वाहन चैकिंग व संदिग्ध व्यक्तियों के चैकिंग लगाई थी, दौरान चैकिंग पिपाहड़ी हेट की तरफ से एक मोटरसाईकिल में दो व्यक्ति बैठे हुए थे, जिन्हें रोककर चैक किया था तो मोटरसाईकिल चला रहे व्यक्ति के कमर में बायीं तरफ पेट में एक 315 बोर का देशी कट्टा लोडेड खुसा हुआ मिला था, नाम पता पूछने पर उस व्यक्ति ने

**आपराधिक प्रकरण क्रमांक:-170 / 2013**

अपना नाम सोनू बताया था, पीछे बैठे व्यक्ति को चैक किया था तो उसकी पेंट के दाहिने जेब में एक 315 बोर का जिंदा राउंड एवं एक खोका मिला था, उस व्यक्ति ने अपना नाम किशनसिंह बताया था, दोनों आरोपी के पास कट्टा एवं कारतूस रखने बावत् लाईसेंस नहीं था। आरोपीगण से मौके पर ही कट्टा एवं कारतूस जब्त कर जब्ती की तथा आरोपीगण को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी की कार्यवाही की थी, तत्पश्चात् थाना बापस आकर आरोपीगण के विरुद्ध अपराध क्र० 21/13 पर अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया था, विवेचना के दौरान साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये थे एवं विवेचना पूर्ण होने पर अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था।

3. उक्तानुसार मेरे पूर्वाधिकारी द्वारा आरोपीगण के विरुद्ध आरोप विरचित किये गये आरोपीगण को आरोप पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर आरोपीगण ने आरोपित अपराध से इंकार किया है व प्रकरण में विचारण चाहा है आरोपीगण का अभिवाक अंकित किया गया।

4. दं०प्र०सं० की धारा 313 के अन्तर्गत अपने अभियुक्त परीक्षण के दौरान आरोपीगण ने कथन किया है कि वह निर्दोष हैं उन्हें प्रकरण में झूठा फंसाया गया है

5. इस न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित विचारणीय प्रश्न उत्पन्न हुए हैं—

1. क्या आरोपी सोनू ने दिनांक दिनांक 24.01.2013 को 14:00 बजे ग्राम पिपाहड़ी रोड़ कैची की पुलिया के पास सार्वजनिक स्थल पर आयुध अधिनियम की धारा 3 के उल्लंघन में एक संचालनीय स्थिति वाला 315 बोर का देशी लोडेड कट्टा वैद्य अनुज्ञप्ति के बिना अपने आधिपत्य में रखा ?

2. क्या आरोपी किशन सिंह ने घटना दिनांक समय व स्थान पर आयुध अधिनियम की धारा 3 के उल्लंघन में एक संचालनीय स्थिति वाला आयुध 315 बोर का जिंदा राउंड वैद्य अनुज्ञप्ति के बिना अपने आधिपत्य में रखा ?

6. उक्त विचारणीय प्रश्नों के संबंध में अभियोजन की ओर से आरक्षक सुरेश दुवे अ०सा० 1, आरक्षक नरेन्द्र सिंह अ०सा० 2, ए०एस०आई० व्ही०एम० सरस अ०सा० 3, रघुराज उर्फ बंटी अ०सा० 4, आरक्षक उदयसिंह अ०सा० 5, आरक्षक बृजेन्द्र अ०सा० 6, नीरज भारद्वाज अ०सा० 7 एवं प्रधान आरक्षक वीरेन्द्र सिंह अ०सा० 8 को परीक्षित कराया गया है जबकि आरोपी की ओर से बचाव में किसी भी साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है।

**{ निष्कर्ष एवं निष्कर्ष के कारण }**

**विचारणीय प्रश्न क्र०-1 एवं 2**

7. साक्ष्य की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए उक्त दोनों विचारणीय प्रश्नों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

8. उक्त विचारणीय प्रश्नों के संबंध में ए०एस०आई० व्ही०एम० सरस जो कि जब्तीकर्ता है, ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में व्यक्त किया है कि दिनांक 24.01.2013 वह प्रधान आरक्षक

**आपराधिक प्रकरण क्रमांक:-170 / 2013**

वीरेन्द्र, आरक्षक उदयसिंह, आरक्षक बृजेन्द्र सिंह, नरेन्द्र सिंह, मुन्नालाल के साथ इलाका गस्त के लिए शासकीय वाहन से रवाना हुआ था, दौराने गस्त पिपाहड़ी रोड़ कैची की पुलिया के पास पहुंचा था, वहां संदिग्ध व्यक्तियों की चैकिंग लगाई गई थी, दौराने चैकिंग पिपाहड़ी हेट तरफ से एक मोटरसाईकिल पर दो व्यक्ति बैठे हुए आये थे, जिन्हें रोककर चैक किया था तो मोटरसाईकिल चला रहे व्यक्ति की कमर में बायी तरफ एक 315 बोर का देशी लोडेड कट्टा खुसा हुआ मिला था, नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम सोनू बताया था, पीछे बैठे व्यक्ति को चैक किया था तो उसकी पेंट की दाहिनी जेब में एक जिंदा राउंड और एक 315 बोर का खोका मिला था, नाम पता पूछने पर उस व्यक्ति ने अपना नाम किशनसिंह बताया था। दोनों आरोपीगण के पास कट्टा एवं कारतूस रखने बावत् लाईसेंस नहीं था। साक्षी बंटी एवं सैनिक नरेन्द्र के समक्ष उसने आरोपी सोनू से कट्टा एवं कारतूस जब्त कर जब्तीपंचनामा प्र0पी0 1 बनाया था जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं तथा आरोपी कृष्ण से 315 बोर का राउंड एवं खोका जब्त कर जब्ती पंचनामा प्र0पी0 2 बनाया था जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं उसने आरोपी सोनू एवं किशन को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्र0पी0 3 एवं प्र0पी0 4 बनाये थे, जिनके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। थाना बापस आकर उसने आरोपीगण के विरुद्ध प्र0पी0 5 की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की थी जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। आरोपीगण से जब्त कट्टा एवं कारतूस आर्टिकल ए लगायत डी है। आर्टिकल ए लगायत डी वही कट्टा एवं कारतूस है, जो उसके द्वारा जब्त किये गये थे।

9. प्रतिपरीक्षण के पद क्र0 2 में उक्त साक्षी ने व्यक्त किया है कि वह घटना दिनांक को दिन के 12 बजे थाने से निकला था, उसने रोजनामचा में रवानगी डाली थी, कितने बजे रवानगी डाली थी, उसे याद नहीं है। पिपाहड़ी हेट के लिए वह इलाके से डेढ़ बजे निकला था। वह लोग जीप से गये थे, रोड़ पर गस्त करते हुए गये थे। उसने आरोपी को दिन के 02:10 बजे पकड़ा था। उसे ध्यान नहीं है कि आरोपीगण किस कलर का पेंट व शर्ट पहने हुए थे, उसके साथ गस्त में प्रधान आरक्षक वीरेन्द्र सिंह, आरक्षक उदयसिंह आरक्षक बृजेन्द्र सिंह, सैनिक नरेन्द्र व मुन्ना भी साथ में गये थे। बंटी पिपाहड़ी हेट पुलिया के पास मिला था। उक्त साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि प्रकरण में रवानगी का रोजनामचा नहीं लगा है। उक्त साक्षी ने बचाव पक्ष अधिवक्ता के इस सुझाव को इंकार किया है कि वह गस्त के लिए नहीं गया था। कट्टा उसके द्वारा ही जब्त किया गया था, उसने अपनी तलाशी किसी को नहीं दी थी।

10. आरक्षक नरेन्द्र सिंह अ0सा0 2, आरक्षक उदयसिंह अ0सा0 5 एवं आरक्षक बृजेन्द्र सिंह अ0सा0 6 ने भी जब्तीकर्ता व्ही0एम0 सरस अ0सा0 3 के कथन का समर्थन किया है एवं घटना दिनांक को व्ही0एम0 सरस के साथ गस्त पर जाने एवं आरोपीगण से कट्टा एवं कारतूस जब्त किये जाने बावत् प्रकटीकरण किया गया है।

11. साक्षी रघुराज उर्फ बंटी अ0सा0 4 द्वारा अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया गया है एवं व्यक्त किया गया है कि वह आरोपीगण को नहीं जानता है, उसके सामने कोई घटना

**आपराधिक प्रकरण क्रमांक:-170 / 2013**

नहीं हुई थी। उक्त साक्षी द्वारा जब्ती पंचनामा प्र०पी० 1 एवं 2 तथा गिरफ्तारी पंचनामा प्र०पी० 3 एवं 4 पर अपने हस्ताक्षर होने से भी इंकार किया गया है। उक्त साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्ष विरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर भी उक्त साक्षी ने अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया है एवं आरोपीगण के विरुद्ध कोई कथन नहीं दिया है।

12. आरक्षक सुरेश दुबे अ०सा० 1 द्वारा कट्टे एवं कारतूस की जांच रिपोर्ट प्र०पी० 1 को प्रमाणित किया गया है। साक्षी नीरज भारद्वाज अ०सा० 7 द्वारा अभियोजन स्वीकृति आदेश प्र०पी० 7 को प्रमाणित किया गया है एवं प्रधान आरक्षक वीरेन्द्र सिंह अ०सा० 8 द्वारा विवेचना को प्रमाणित किया गया है।

13. तर्क के दौरान बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा यह व्यक्त किया गया है कि प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन द्वारा परीक्षित साक्षीगण के कथन परस्पर विरोधाभासी रहे हैं, अतः स्वतंत्र साक्षी द्वारा अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया गया है अतः अभियोजन घटना संदेह से परे प्रमाणित होना नहीं माना जा सकता है।

14. सर्व प्रथम न्यायालय को यह विचार करना है कि क्या आरोपीगण के विरुद्ध आयुध अधिनियम की धारा 39 के अंतर्गत अभियोजन चलाने की स्वीकृति विधिनुसार ली गई है। उक्त संबंध में आर्म्स क्लर्क नीरज भारद्वाज अ०सा० 7 ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में व्यक्त किया है कि दिनांक 04.03.2013 को जिला दंडाधिकारी कार्यालय भिण्ड में थाना गोहद चौराहे के आरक्षक अमर बहादुर द्वारा थाने के अप०क्र० 21/13 की केस डायरी सीलबंद जप्तशुदा आयुध सहित पेश की गई थी एवं तत्कालीन जिला दंडाधिकारी श्री अखिलेश श्रीवास्तव द्वारा केस डायरी एवं जप्तशुदा आयुध के अवलोकन पश्चात आरोपी सोनू एवं किशनसिंह के विरुद्ध अभियोजन चलाने की स्वीकृति प्रदान की गई थी। उक्त अभियोजन स्वीकृति आदेश प्र०पी० 7 है जिसके ए से ए भाग पर तत्कालीन जिला दंडाधिकारी श्री अखिलेश श्रीवास्तव के हस्ताक्षर हैं एवं बी से बी भाग पर उसके लघु हस्ताक्षर हैं। उसने जिला दण्डाधिकारी श्री अखिलेश श्रीवास्तव के अधीनस्थ कार्य किया है इसलिये वह उनके हस्ताक्षरों से परिचित है। उक्त साक्षी का बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा प्रतिपरीक्षण किया गया है परन्तु प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त साक्षी का कथन अखण्डनीय रहा है।

15. इस प्रकार साक्षी नीरज भारद्वाज अ०सा० 7 ने अपने कथन में स्पष्ट रूप से यह बताया है कि तत्कालीन जिला दंडाधिकारी श्री अखिलेश श्रीवास्तव ने केस डायरी एवं जप्तशुदा आयुध के अवलोकन पश्चात आरोपीगण के विरुद्ध अभियोजन चलाने की अनुमति प्रदान की थी बचाव पक्ष की ओर से उक्त तथ्यों के खण्डन में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है ऐसी स्थिति में उक्त बिन्दु पर आई साक्ष्य से यह प्रमाणित है कि आरोपी सोनू एवं किशनसिंह के विरुद्ध आयुध अधिनियम की धारा 39 के अंतर्गत अभियोजन स्वीकृति विधिनुसार प्रदान की गई है।

16. अब न्यायालय को यह विचार करना है कि क्या जप्तशुदा 315 बोर का कटटा एवं कारतूस संचालनीय स्थिति में थे। उक्त संबंध में आरक्षक सुरेश दुबे अ०सा० 1 ने न्यायालय के समक्ष



**आपराधिक प्रकरण क्रमांक:-170 / 2013**

अपने कथन में व्यक्त किया है कि उसने दिनांक 28.01.2013 को पुलिस लाईन भिण्ड में थाना गोहद चौराहे के आरक्षक हरदयाल सिंह के द्वारा लाए जाने पर थाने के अप0क0 21 / 13 में जप्तशुदा 315 बोर के देशी कट्टे एवं दो राउंड तथा खाली खोके की जांच की थी जांच के दौरान उसने कट्टे का एक्शन चैक किया था कट्टा चालू हालत में था कट्टे से फायर किया जा सकता था। 315 बोर के दो जिंदा राउंड भी चालू हालत में थे, उनसे फायर हो सकता था। उसकी जांच रिपोर्ट प्र0पी0 1 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। प्रतिपरीक्षण के पद क0 2 में उक्त साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि उसने कट्टे एवं कारतूस से फायर करके नहीं देखा था एवं यह भी स्वीकार किया है कि उसने कट्टे के एक्शन के आधार पर कट्टा चालू हालत में होना बताया था।

17. इस प्रकार आरक्षक सुरेश दुबे आ0सा0 1 द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि उसने कट्टे एवं कारतूस को चलाकर नहीं देखा था परंतु आरक्षक सुरेश दुबे आ0सा0 1 द्वारा यह भी बताया गया है कि उसने कट्टे का एक्शन चैक किया था तथा कट्टे का एक्शन सही पाया गया था। इस प्रकार आरक्षक सुरेश दुबे आ0सा0 1 द्वारा यद्यपि कट्टे से फायर करके नहीं देखा गया है परंतु उसके द्वारा कट्टे के कलपुर्जे चैक किए गए हैं जिसके आधार पर कट्टा संचालनीय स्थिति में पाया गया है आरोपीगण की ओर से उक्त तथ्यों के खंडन में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है और ना ही आरोपीगण का ऐसा कहना है कि जप्तशुदा आयुध संचालनीय स्थिति में नहीं थे। ऐसी स्थिति में मात्र इस आधार पर कि आरक्षक सुरेश दुबे द्वारा जप्तशुदा कट्टे एवं कारतूस को चलाकर नहीं देखा गया था यह नहीं माना जा सकता है कि जप्तशुदा आयुध संचालनीय स्थिति में नहीं थे।

18. प्रस्तुत प्रकरण में आरक्षक सुरेश दुबे आ0सा0 1 ने जप्तशुदा 315 बोर का कट्टा एवं कारतूस संचालनीय स्थिति में होना बताया है। बचाव पक्ष की ओर से उक्त तथ्यों के खण्डन में भी कोई विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है। ऐसी स्थिति में उक्त बिन्दु पर आई साक्ष्य से यह भी प्रमाणित है कि जप्तशुदा 315 बोर का कट्टा एवं दो कारतूस संचालनीय स्थिति में थे।

19. अब मुख्य विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या जप्तशुदा 315 बोर का कट्टा एवं कारतूस आरोपीगण ने वैध अनुज्ञप्ति के बिना अपने आधिपत्य में रखे थे? उक्त संबंध में जप्तीकर्ता व्ही0एम0 सरस आ0सा0 3 ने अपने कथन में यह बताया है कि घटना दिनांक को वह आरक्षक उदयसिंह, बृजेन्द्र सिंह, नरेन्द्र सिंह एवं मुन्नालाल तथा प्रधान आरक्षक वीरेन्द्र के साथ इलाका गस्त के लिए गया था एवं गस्त के दौरान पिपाहड़ी रोड़ कैंची की पुलिया के पास उसने संदिग्ध व्यक्तियों की वाहन चैकिंग लगाई थी एवं चैकिंग के दौरान उसने उसने आरोपीगण को चैक किया था तथा आरोपी सोनू से 315 बोर का देशी लोडेड कट्टा एवं आरोपी किशनसिंह से 315 बोर का राउंड एवं खोका जब्त कर जब्ती पंचनामा प्र0पी0 1 एवं 2 तथा आरोपीगण को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्र0पी0 3 व 4 बनाये थे। उक्त साक्षी ने यह भी व्यक्त किया है कि आर्टिकल ए लगायत डी वही कट्टा एवं कारतूस हैं जो उसने मौके पर आरोपीगण से जब्त किये थे।

20. प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि प्रकरण में रवानगी का रोजनामचा नहीं लगा है तथा यह भी व्यक्त किया है कि उसने रोजनामचे में कितने बजे

**आपराधिक प्रकरण क्रमांक:-170 / 2013**

रवानगी डाली थी, उसे याद नहीं है। इस प्रकार जब्तीकर्ता व्ही0एम0 सरस अ0सा0 3 द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि प्रकरण में रोजनामचा रवानगी नहीं लगी है तथा बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा तर्क के दौरान यह भी व्यक्त किया गया है कि प्रकरण में रोजनामचा सान्हा अभियोजन द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है अतः अभियोजन घटना संदेहास्पद हो जाती है परन्तु बचाव पक्ष अधिवक्ता का यह तर्क स्वीकार योग्य नहीं है यद्यपि प्रकरण में रोजनामचा सान्हा अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं किया गया है परन्तु ए0एस0आई व्ही0एम0 सरस अ0सा0 3, आरक्षक नरेन्द्र सिंह अ0सा0 2, आरक्षक उदयसिंह अ0सा0 5 एवं आरक्षक बृजेन्द्र सिंह अ0सा0 6 ने घटना दिनांक को पिपाहड़ी हेट पुलिया पर जाने, वाहन चैकिंग करने एवं चैकिंग के दौरान आरोपी सोनू एवं किशन सिंह से कट्टा एवं कारतूस जब्त करना बताया है आरोपीगण की ओर से उक्त तथ्यों के खण्डन में कोई विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है। आरोपीगण की ओर से ऐसी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है जिससे यह प्रदर्शित होता हो कि ए0एस0आई व्ही0एम0 सरस मय फोर्स मय पिपाहड़ी हेट पुलिया पर नहीं गये थे, ऐसी स्थिति में मात्र रोजनामचा प्रस्तुत न होने से अभियोजन घटना पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। ए0एस0आई व्ही0एम0 सरस ने अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान यह बताया है कि वह घटना दिनांक को थाने से लगभग 12 बजे निकले थे जबकि आरक्षक नरेन्द्र अ0सा0 2 का कहना है कि वह थाने से एक बजे निकले थे एवं आरक्षक उदयसिंह अ0सा0 5 ने अपने कथन में यह बताया है कि वह थाने से लगभग डेढ़ बजे निकले थे, इस प्रकार उक्त बिन्दु पर ए0एस0आई व्ही0एम0 सरस अ0सा0 3 तथा नरेन्द्र सिंह अ0सा0 2 एवं आरक्षक उदयसिंह अ0सा0 5 के कथन अपने परीक्षण के दौरान किंचित विरोधाभाषी रहे हैं परन्तु उक्त विरोधाभाष इतना तात्त्विक नहीं है जिससे सम्पूर्ण अभियोजन घटना ही संदेहास्पद मान ली जाये।

21. जहां तक आरक्षक नरेन्द्र सिंह अ0सा0 2, आरक्षक उदयसिंह अ0सा0 5 एवं आरक्षक बृजेन्द्र सिंह अ0सा0 6 के कथन का प्रश्न है तो आरक्षक नरेन्द्र सिंह अ0सा0 2 ने अपने कथन में घटना दिनांक को विलियम मुण्डा दीवान जी के साथ चैकिंग हेतु पिपाहड़ी हेट जाने एवं कैची की पुलिया के पास आरोपी सोनू से एक कट्टा एवं जिंदा राउंड तथा आरोपी किशन से एक कट्टा व राउंड जब्त करना बताया है, उक्त साक्षी ने जब्ती पंचनामा प्र0पी0 1 एवं 2 के क्रमशः ए से ए भाग पर अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किया है। इस प्रकार आरक्षक नरेन्द्र सिंह अ0सा0 2 ने आरोपी किशन सिंह से भी कट्टा जब्त करना बताया है जबकि जब्ती पंचनामा प्र0पी0 2 में आरोपी किशन सिंह से एक 315 बोर का जिंदा राउंड तथा एक 315 बोर के खोके जब्त होने का होना उल्लेख है। इस प्रकार उक्त बिन्दु पर आरक्षक नरेन्द्र सिंह अ0सा0 2 का कथन जब्ती पंचनामा प्र0पी0 2 से किंचित विरोधाभाषी रहा है परन्तु यहां यह भी उल्लेखनीय है कि घटना दिनांक 24.01.2013 की है तथा आरक्षक नरेन्द्र सिंह अ0सा0 2 के न्यायालय में कथन दिनांक 05.06.2015 को हुए है ऐसी स्थिति में समय का लम्बा अंतराल होने के कारण साक्षी के कथनों में उक्त विसंगति आना स्वाभाविक है एवं मात्र उक्त विसंगति के कारण सम्पूर्ण अभियोजन घटना संदेहास्पद नहीं मानी जा सकती है।

22. साक्षी आरक्षक उदयसिंह अ0सा0 5 एवं आरक्षक बृजेन्द्र सिंह अ0सा0 6 द्वारा भी जब्तीकर्ता व्ही0एम0 सरस अ0सा0 3 के कथन का समर्थन किया गया है एवं घटना दिनांक को

**आपराधिक प्रकरण क्रमांक:-170 / 2013**

व्ही0एम0 सरस के साथ वाहन चैंकिंग पर जाने तथा आरोपी सोनू से 315 बोर का लोडेड कट्टा एवं आरोपी किशन से एक जिंदा राउंड एवं एक खोका जब्त किये जाने बावत् प्रकटीकरण किया गया है। उक्त दोनों ही साक्षीगण का बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा पर्याप्त प्रतिपरीक्षण किया गया है परन्तु प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त दोनों ही साक्षीगण का कथन तुच्छ विसंगतियों को छोड़कर तात्विक विरोधाभाषों से परे रहा है।

23. बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा तर्क के दौरान यह भी व्यक्त किया गया है कि प्रस्तुत प्रकरण में जप्ती की कार्यवाही के स्वतंत्र साक्षी रघुराज उर्फ बंटी अ0सा0 4 द्वारा जप्ती की कार्यवाही का समर्थन नहीं किया गया है आरोपीगण के विरुद्ध मात्र पुलिस कर्मचारी की साक्ष्य शेष है। अतः अभियोजन घटना संदेह से परे प्रमाणित होना नहीं माना जा सकता है। यद्यपि यह सत्य है कि प्रकरण में जप्ती की कार्यवाही के स्वतंत्र साक्षी रघुराज उर्फ बंटी अ0सा0 4 द्वारा अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया गया है एवं आरोपीगण के विरुद्ध कोई कथन नहीं दिया गया है परंतु मात्र उक्त आधार पर पुलिस कर्मचारियों के कथनों को अविश्वसनीय नहीं माना जा सकता है। मात्र इस कारण से कि जब्तीकर्ता ए0एस0आई0 व्ही0एम0 सरस अ0सा0 3 आरक्षक नरेन्द्र सिंह अ0सा0 2, आरक्षक उदयसिंह अ0सा0 5 एवं आरक्षक बृजेन्द्र सिंह अ0सा0 6 पुलिस कर्मचारी हैं उनकी साक्ष्य अविश्वास योग्य नहीं हो जाती है विधि में ऐसा कोई नियम नहीं है कि पुलिस अधिकारी की साक्ष्य की पुष्टि के बिना उसके आधार पर दोष सिद्ध अभिलिखित नहीं की जा सकती है। उक्त संबंध में न्यायदृष्टांत करमजीत सिंह विरुद्ध स्टेट (2003) 5 एस0 सी0 सी0 491 भी अवलोकनीय है जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह प्रतिपादित किया गया है कि पुलिस कर्मचारीगण के साक्ष्य को भी सामान्य साक्षी की साक्ष्य की तरह लेना चाहिए और यह उपधारणा कि व्यक्ति ईमानदारी से कार्य करता है पुलिस के मामले में भी लागू होता है विधि में ऐसा कोई नियम नहीं है कि स्वतंत्र साक्षी की पुष्टि के बिना पुलिस कर्मचारीगण की साक्ष्य पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। न्यायादृष्टांत नाथूसिंह विरुद्ध म0प्र0 राज्य ए0आई0आर 1973 एस0 सी0 सी0 2783 में यह प्रतिपादित किया गया है कि पंच साक्षीगण के पक्षविरोधी हो जाने के बाद भी शेष साक्षीगण जो पुलिस के कर्मचारीगण हैं उनकी साक्ष्य को इस आधार पर अविश्वसनीय नहीं माना जा सकता है कि वह पुलिस कर्मचारी हैं। इस प्रकार उक्त न्यायदृष्टांतों से भी न्यायालय के इसी मत को बल मिलता है कि मात्र पुलिस कर्मचारी होने के कारण साक्षी ए0एस0आई0 व्ही0एम0 सरस, आरक्षक नरेन्द्र सिंह, आरक्षक उदयसिंह एवं आरक्षक बृजेन्द्र सिंह की साक्ष्य पर अविश्वास नहीं किया जा सकता है।

24. प्रस्तुत प्रकरण में जप्तीकर्ता ए0एस0आई0 व्ही0एम0 सरस अ0सा0 3 ने अपने कथन में आरोपी सोनू से दिनांक 24.01.2013 को 315 बोर का कट्टा एवं कारतूस तथा आरोपी किशन सिंह से 315 बोर का कारतूस जब्त करना बताया है। उक्त साक्षी का बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा पर्याप्त प्रतिपरीक्षण किया गया है परन्तु प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त साक्षी का कथन तुच्छ विसंगतियों को छोड़कर तात्विक विरोधाभाषों से परे रहा है जब्ती पंचनामा प्र0पी0 1 में आरोपी सोनू से 315 बोर का कट्टा एवं 315 बोर का राउंड तथा जब्ती पंचनामा प्र0पी0 2 में आरोपी किशन सिंह से 315 बोर का जिंदा राउंड एवं एक खोका जब्त होने का उल्लेख है जब्ती पंचनामा प्र0पी0 1 एवं प्र0पी0 2 में

**आपराधिक प्रकरण क्रमांक:-170 / 2013**

नमूना सील भी अंकित हैं। जब्तीकर्ता ए0एस0आई व्ही0एम0 सरस अ0सा0 3 के कथन तात्विक बिन्दुओं पर जब्ती पंचनामा प्र0पी0 1 एवं प्र0पी0 2 से पुष्ट रहे हैं। उक्त साक्षी के कथन का समर्थन आरक्षक नरेन्द्र सिंह अ0सा0 2, आरक्षक उदयसिंह अ0सा0 5, आरक्षक बृजेन्द्र सिंह अ0सा0 6 द्वारा भी किया गया है। उक्त सभी साक्षीगण का बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा पर्याप्त प्रतिपरीक्षण किया गया है परन्तु प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त सभी साक्षीगण के कथन तुच्छ विसंगतियों को छोड़कर तात्विक विरोधाभासों से परे रहे हैं। आरोपीगण की ओर से उक्त तथ्यों के खण्डन में कोई विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है। ऐसी स्थिति में अभियोजन की अखण्डित रही साक्ष्य पर अविश्वास किये जाने का कोई कारण नहीं है।

25. फलतः समग्र अवलोकन से अभियोजन संदेह से परे यह प्रमाणित करने में सफल रहा है कि आरोपी सोनू ने दिनांक 24.01.2013 को 14:00 बजे ग्राम पिपाहड़ी रोड़ कैची की पुलिस के पास सार्वजनिक स्थल पर आयुध अधिनियम की धारा 3 के उल्लंघन में एक संचालनीय स्थिति वाला 315 बोर का देशी लोडेड कट्टा एवं आरोपी किशन सिंह ने 315 बोर का एक जिंदा राउंड वैद्य अनुज्ञप्ति के बिना अपने आधिपत्य में रखा। फलतः यह न्यायालय आरोपी सोनू सिंह एवं आरोपी किशन सिंह को आयुध अधिनियम की धारा 25 (1)(1-ख)(क) के अंतर्गत सिद्धदोष पाते हुए दोषसिद्ध करती है।

26. सजा के प्रश्न पर सुने जाने हेतु निर्णय लिखाया जाना अस्थायी रूप से स्थगित किया गया।

(प्रतिष्ठा अवस्थी)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद  
जिला भिण्ड म0प्र0

पुनश्च—

27. आरोपीगण एवं उनके विद्वान अधिवक्ता को सजा के प्रश्न पर सुना गया आरोपीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा व्यक्त किया गया कि आरोपीगण का यह प्रथम अपराध है। अतः आरोपीगण को कम से कम दंड से दंडित किया जावे।

28. आरोपीगण अधिवक्ता के तर्क पर विचार किया गया प्रकरण का अवलोकन किया गया प्रकरण के अवलोकन से दर्शित होता है कि अभियोजन द्वारा आरोपीगण के विरुद्ध कोई पूर्व दोषसिद्धि अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गई है। परन्तु आरोपीगण वयस्क व्यक्ति है एवं अपने कृत्य के परिणामों को समझने में सक्षम है आरोपीगण द्वारा वैद्य अनुज्ञप्ति के बिना आग्नेय आयुध अपने आधिपत्य में रखे गये हैं। ऐसी स्थिति में आरोपीगण को शिक्षाप्रद दंड से दंडित किया जाना आवश्यक है। फलतः यह न्यायालय आरोपी सोनू सिंह एवं किशन सिंह में से प्रत्येक को आयुध अधिनियम की धारा 25 (1)(1-ख)(क) के अंतर्गत एक-एक वर्ष के सश्रम कारावास एवं एक-एक हजार रुपये के अर्थदंड तथा अर्थदंड की राशि में व्यतिक्रम होने पर एक-एक माह के अतिरिक्त सश्रम कारावास के दंड से दंडित करती है।



**आपराधिक प्रकरण क्रमांक:-170 / 2013**

29. प्रकरण में जप्तशुदा 315 वोर का कटटा, कारतूस, खोखा अपील अवधि पश्चात विधिवत निराकरण हेतु जिला दंडाधिकारी भिण्ड की ओर भेजे जावे। अपील होने की दशा में माननीय अपील न्यायालय के निर्देशों का पालन किया जावे।

30. आरोपीगण जितनी अवधि के लिये न्यायिक निरोध में रहे हैं उसके संबंध में द0प्र0स0 की धारा 428 के अंतर्गत ज्ञापन तैयार किया जावे। आरोपीगण द्वारा न्यायिक निरोध में बिताई गई अवधि उनकी सारवान सजा में समायोजित की जावे। आरोपी सोनू प्रकरण में दिनांक 25.01.13 से दिनांक 29.01.13 तक एवं दिनांक 22.02.2018 से वर्तमान तक न्यायिक निरोध में रहा है तथा आरोपी किशनसिंह प्रकरण में दिनांक 25.01.2013 से दिनांक 29.01.2013 तक तथा दिनांक 15.02.2018 से वर्तमान तक न्यायिक निरोध में रहा है।

तदनुसार सजा वारंट बनाये जावे।

स्थान:- गोहद,

दिनांक:-19.03.18

निर्णय हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर,  
खुले न्यायालय में घोषित किया गया

मेरे निर्देशन पर टाईप किया गया

सही / -

(प्रतिष्ठा अवस्थी)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
गोहद जिला भिण्ड (म0प्र0)

सही / -

(प्रतिष्ठा अवस्थी)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
गोहद जिला भिण्ड (म0प्र0)